राजस्व वाद संख्या 1/2023
GCMS NO. 2023/25
विष्णु शर्मा बनाम रंजु शर्मा वगै0
आदेश दिनांक 26.08.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 1/2023
(GCMS NO. 2023/25)

विष्णु शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू हाल निवासी 60 संजय नगर ए जोशी मार्ग कालवाड़ रोड़ झोटवाड़ा जयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

1. रंजु शर्मा पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. भावना शर्मा पुत्री श्री ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. मनोज शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी जुहारपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. अनिता शर्मा पुत्री श्री ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी जुहारपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. राजेश शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी जुहारपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
6. सुमित्रा देवी पुत्री श्री ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी जुहारपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
7. सरपंच ग्राम पंचायत टमकोर पंचायत समिति अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट्स

वकील अपीलान्टस – श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील रेस्पोडेन्टस –

अपील बखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 930 ग्राम पंचायत टमकोर नामान्तरकरण प्रविष्टि दिनांक 11.09.2019 व तसदीक दिनाकं 20.09.2019

निर्णय

दिनांक 26.08.2025

संक्षेप मे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि नामान्तरकरण संख्या 930 ग्राम पंचायत टमकोर नामान्तरकरण प्रविष्टि दिनांक 11.09.2019 व तसदीक दिनांक 20.09.2019 ग्राम पंचायत ने बिना जांच किये तसदीक किया है जो कानुन विरूद्व होने से काबिले खारीज है। ग्राम टमकोर पटवार हल्का टमकोर में भूमि हाल ख.न. 282 रकबा 1.60 हैक्टर, भूमि ख.न. 284 रकबा 1.47 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.07 हैक्टर जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता/पति ओमप्रकाश पुत्र तुलसीराम का 1/8 हिस्सा था। ओमप्रकाश पुत्र तुलसीराम के वारिसान में एक पुत्र अपीलान्ट स्वयं एक पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तथा पत्नी रंजु शर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 है। जमीन जैर बहस में अपीलार्थी के पिता के जीवनकाल में ही दिनांक 05.08.2019 को एक प्रार्थना पत्र अनिता शर्मा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा जाति ब्राहमण निवासी जुहारपुरा ने भूमि के विरासतन नामान्तरकरण बाबत एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार महोदय मलसीसर के यहां पेश किया जिसको ग्राम पंचायत टमकोर ने प्रस्ताव संख्या 1 के द्वारा दिनाक 20.09.2019 को स्वीकृत कर दिया जबकि उक्त भूमि ओमप्रकाश पुत्र तुलसीराम ग्राम जुहारपुरा की कभी नहीं रही। उक्त भूमि ओमप्रकाश पुत्र तुलसीराम निवासी टमकोर की है जिसकी मृत्यु दिनांक 24.10.

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

2021 को हुई है इसलिये उक्त नामान्तरकरण खिलाफ कानुन होने से भी काबिले खारीज है। अनिता शर्मा ने उक्त भूमि के नामान्तरकरण बाबत एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जो साजसी एवं झुंठा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 6 का उक्त भूमि से कोई लेना नहीं है। जमीन जैर बहस अपीलार्थी की पैत्रिक कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से के सह खातेदार काश्तकार है। जमीन जैर बहस का राजस्व रिकार्ड गलत रूप से ओमप्रकाश पुत्र तुलसीराम जाति ब्राहमण निवासी जुहारपुरा के वारीसान के नाम बन गया तथा नामान्तरकरण संख्या 930 गलत तसदीक हुआ जो शुन्य दस्तावेज है। ओमप्रकाश पुत्र तुलसीराम जाति ब्राहमण निवासी टमकोर का रहने वाला व्यक्ति है जिसकी प्रविष्टि का फायदा उठाकर नामान्तरकरण संख्या 930 दिनांक 20.09.2019 को ग्राम पंचायत टमकोर से तसदीक करवा लिया जो कि गलत दर्ज हुआ है। ग्राम पंचायत ने मौके की जांच किये बिना उक्त नामान्तरकरण तसदीक किया है जो काबिले निरस्त है। क्योंकि अपीलार्थी उक्त भूमि को अपने पूर्वजों के समय से काश्त करता रहा है व काबिज रहा है उक्त भूमि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की पैत्रिक खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। उक्त नामान्तरकरण दिनांक 20.09.2019 को तसदीक किया गया जिसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि अपीलार्थी के पिता का स्वर्गवास दिनाकं 24.10.2021 को हुआ जिसका विरासतन नामान्तरकरण तसदीक करवाने हेतु अपीलार्थी पटवार हल्का के पास आया और अपने राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की तो उक्त नामान्तरकरण बाबत जानकारी हुई इसलिये अपीलार्थी पूर्व में यह अपील पेश नहीं कर सका। अपील पेश करने के लिये विलम्ब को कण्डोन किया जाना न्यायोचित है दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व इजाजत के लिये धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है जिसका लाभ दिया जाना न्यायोचित है। यह कि ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण सही जांच किये बिना तसदीक किया है जो काबिले निरस्त है। अतः अपील अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 930 ग्राम पंचायत टमकोर दिनांक 20.09.2019 निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा पत्रावली ग्राम पंचायत टमकोर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि वारिसान की सही जांच कर नामान्तरकरण तसदीक किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर अपील में ग्राम पंचायत टमकोर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 930 के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 बाद तामिल अनुपस्थित। रेस्पोडेन्टस की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाबदेही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों का दोहराया तथा कथन किया कि जमीन जैर बहस पैतृक सम्पती है। ग्राम पंचायत टमकोर ने बिना जांच किये ओमप्रकाश पुत्र तुलसीराम जाति ब्राहमण निवासी टमकोर के जीवित रहते उनका फोतगी नामान्तरकरण गलत दर्ज किया है जो खारिज होने योग्य है। अपील प्रस्तुत करने की इजाजत हेतु प्रार्थना पत्र दफा 96 जा.दी. का अलग से प्रस्तुत है। बरोज जानकारी अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद पेश है। इसलिये अपील अपीलान्ट मंजुर फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 930 ग्राम बाडेट आदेश दिनांक 11/09/2019 को अपास्त किया जावे तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि ओमप्रकाश पुत्र तलसीराम जाति ब्राहमण निवासी टमकोर के विधिक वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण दर्ज करें।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

राजस्व वाद संख्या 1/2023
GCMS NO. 2023/25
विष्णु शर्मा बनाम रंजु शर्मा वगै0
आदेश दिनांक 26.08.2025

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर गौर किया। जमीन जैर बहस अपीलान्ट की पैतृक भूमि है। ग्राम पंचायत टमकोर ने खातेदार के जीवित रहते फौतगी नामान्तरकरण संख्या 930 दिनांक 11.09.2019 स्वीकृत किया है जो एक विधिक त्रुटि है जिसमें भी खातेदार के वारिसान की जांच नहीं कर नामान्तरकरण स्वीकृत करना अपीलान्ट के हक अधिकारों के विपरीत है। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत टमकोर द्वारा गलत नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। चूंकि अपील अपीलान्ट बरोज जानकारी होने पर अन्दर मियाद है इसलिये अपील अन्दर मियाद मानते हुये इजाजत प्रार्थना पत्र दफा 96 जा.दी स्वीकार किया जाता है। समस्त तथ्यों एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है ग्राम पंचायत टमकोर का नामान्तरकरण संख्या 930 दिनांक 20.09.2019 विधि विरूद्व होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मलसीसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार मलसीसर मृतक ओमप्रकाश पुत्र तुलसीराम के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। अपील अपीलान्ट फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पं० 26/8/25

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर